"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018 — श्रावण 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना
सं. 13/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(57). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 11/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/ वाक/पांच/(79) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -

(3)	(4)	(5)
"(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तु की आपूर्ति जो कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तु के रूप में हो जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्त्रां, ईटिंग ज्वाइंट जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया

(3)	(4)	(5)
परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में जहां कि ऐसे खाद्य प्रदार्थ या मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तु या पेय की आपूर्ति की जा रही हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस्, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन 7500/- रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो स्पष्टीकरण 1.- इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्थान जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान में की जाने वाली ऐसी आपूर्ति भी शामिल है जो कि किसी ऐसे संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी आपूर्ति के लिए ऐसे संस्थान के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसी आपूर्ति उत्सव या समारोह आधारित न हो । स्पष्टीकरण 2.- इस प्रविष्टि में वे आपूर्तियां नहीं आएगी जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं । स्पष्टीकरण 3.- "घोषित टैरिफ में" ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा ।		हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)
(iक) भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लि. या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य प्रदार्थों, जिनका की मानव के द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, की या किसी भी पेय की आपूर्ति ।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,-

(क) "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;

ग. मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया : -

(3)	(4)	(5)
"(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के तहत खाद्य प्रदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका कि मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाली आपूर्ति, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो ।	9	-";

(ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष कॉलम (3) में मद (vi) के स्थान पर और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन स्पष्टीकरण- (1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय माल का कम से कम, परिवहन के दो साधनों के प्रकार द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल के डिलीवरी के स्थान पर "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" के द्वारा परिवहन; (2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किए जाने से है; (3) "बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो,- (क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराए के एवज में बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है; (ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो ।	6	-
(vii) माल के परिवहन की सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न हों ।	9	-";

(iii) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान के पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	शीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं)	(क) केवल ई-बुक की आपूर्ति स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ई-बुक्स से अभिप्राय किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण की ऑनलाइन आपूर्ति से है जिसे	2.5	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है ।		
		(ii) दूरसंचार प्रसारण एवं सूचना आपूर्ति सेवाएं उनसे भिन्न जो कि ऊपर (i) में उल्लिखित हैं ।	9	-".

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(57). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच (57), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 13/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V (57). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and sub-section (1) of Section 16 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (79), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3),-

(a) for item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely :-

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]

(3)	(4)	(5)
meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. Explanation 1.- This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such a supply is not event based or occasional. Explanation 2.- This item excludes the supplies covered under item 7 (v). Explanation 3.- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
(ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(b) in items (ii), (vi) and (viii),-

(A) for the words "declared tariff "wherever they occur, the words "value of supply" shall be substituted;

(B) the Explanation shall be omitted;

(c) for item (v), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely : -

(3)	(4)	(5)
"(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition Halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor or indoor functions that are event based and occasional in nature.	9	-";

(ii) against serial number 9, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) Multimodal transportation of goods. Explanation.- (a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter; (b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea; (c) "multimodal transporter" means a person who,- (A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and	6	-

(3)	(4)	(5)
(B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.		
(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-";

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	Heading 9984 (Telecommunications, broadcasting and information supply services)	(i) Supply consisting only of e-book. Explanation.-For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device.	2.5	-
		(ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above.	9	-".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 14/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(58). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(80) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9घ	अध्याय 99	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	शीर्षक 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षम 9971 या शीर्षक9991	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31ख	शीर्षक 9971 or शीर्षक 9991	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	शीर्षक 9971	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा :-

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47क	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्ठियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55क	शीर्षक 9986	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65ख	शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । स्पष्टीकरण.- "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो ।	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।"

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	शीर्षक 9995	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- (i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रू0) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(58). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच (58), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 14/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(58). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 12/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (80), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -
(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9D	Chapter 99	Services by an old age home run by Central Government, State Government or by anentity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty-five thousand rupees per month per member, provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance.	Nil	Nil";

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10A	Heading	Services supplied by electricity distribution	Nil	Nil";

	9954	utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network upto the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use.		

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures"2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures"2018", the figures"2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of warehousing of minor forest produce.	Nil	Nil";

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Coal Mines Provident Fund Organisation to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).	Nil	Nil
31B	Heading 9971 or Heading 9991	Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee.	Nil	Nil";

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading 9971	Services supplied by Central Government, State Government, Union territory to their undertakings or Public Sector Undertakings (PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions.	Nil	Nil";

(k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after figures "36", the word and figures "or 40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading 9983 or Heading 9991	Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators.	Nil	Nil";

(m)after serial number 55and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55A	Heading 9986	Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses).	Nil	Nil";

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65B	Heading 9991 or any other Heading	Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders. *Explanation.-* "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	Nil	Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount

				of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.":

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	Heading 9995	Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,- (i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or (ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment, to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year.	Nil	Nil":

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 15/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(59). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 13/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(81) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं ।	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स	ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा- '(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसैंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(59). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(59), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION

No. 15/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(59). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 13/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (81), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"11	Service supplied by individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company (NBFCs).	Individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm.	A banking company or a non-banking financial company, located in the taxable territory.";

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

'(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 16/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(60). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 14/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(82) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) प्रस्तावना में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(60). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(60), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 16/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39 /2018/CT/V (60) - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 14/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V(82), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

(i) after the words "State Government", the words "or Union territory" shall be inserted;

(ii) after the word "Constitution", the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 17/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(61). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 11/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(79) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) की प्रविष्टि में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा :-

"स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'कारोबार' की अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारी के रूप में संलग्न हों, द्वारा किया जा रहा हो"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(61). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(61), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION

No. 17/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(61). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification No. 11/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (79), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, hereby inserts following explanation in the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), namely :-

"Explanation. - For the purposes of this item, the term 'business' shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 18/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(62). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 1/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(69) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची I -2.5% में,

(i) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102 क	2207	एथाइल एल्कोहल, जो कि मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किया गया हो ";

(ii) क्रम संख्या 123 में, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(2)	(3)
"2515 (2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90 को छोड़कर) या 6802	एकाउसिन और अन्य केलकेरियस संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर ; एलबास्टर [अन्य संगमरमर और ट्रैवर्टाईन से भिन्न], दर्पण के सदृश तराशे गए पत्थर जो कि प्रयोग किए जाने के लिए तैयार हैं से भिन्न";

(iii) क्रम संख्या 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"170क	2809	उर्वरक ग्रेड के फास्फोरिक एसिड

(iv) क्रम संख्या 215 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द ", जिसमें कोयर पिथ कम्पोस्ट जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हों और जिनका ब्रांड नेम हो भी आते हैं" को अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 219 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कोयर मेट्स, मैटिंग, फ्लोर कवरिंग और हैंडलूम दरिया", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "सभी वस्तुएं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 222 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:

(2)	(3)
"61 और 6501 या 6505	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन या कैप/टोपी जो बुने हुए या क्रोशियाकृत हैं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है"

(viii) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) में अंक "500" के स्थान पर अंक "1000" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 264 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बायोमास ब्रिक्यूटीस या ठोस बायो फ्यूल पेलेट्स", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची ।। में-6%, -

(i) क्रम संख्या 57ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"96क	4409	बम्बू फ्लोरिंग";

(iii) क्रम संख्या 146 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "अनुसूची । में 219 में आने वाले मदों को छोड़कर", को अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"185क	7419 99 30	ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव";

(vi) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"195क	8420	हस्त चालित रबर रोलर";
"195कक	8424	स्प्रिंकलर या बूँद बूँद सिचाई (ड्रिप सिचाई) उपकरणों के लिए नोज़ल";

(vii) क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"206क	87	फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स" ;

(viii) क्रम संख्या 231क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"231ख	9607	स्लाइड फास्टनर्स"

(ix) क्रम संख्या 235 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

(2)	(3)
"9619 00 30, 9619 00 40 या 9619 00 90	सभी वस्तुएं";

(ग) अनुसूची III में-9%, -

(i) क्रम संख्या 25 में, कॉलम (3) में शब्द, "किसी भी प्रबलता के", के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "[मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल से भिन्न]" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"52क	3208	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर है] जो संश्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है; इस अध्याय के टिप्पण 4 में यथापरिभाषित
52ख	3209	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर है] जो संश्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन है
52ग	3210	अन्य पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल, लेकर और डिस्टेंपर हैं]; इस प्रकार के निर्मित जल वर्णक, जिनका उपयोग चमड़े की परिसज्जा के लिए किया जाता है";

(iii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"54ख	3214	ग्लैजियर पुट्टी, प्ररोपण पुट्टी, रेसिन सीमेंट, संधिरोधी योगिक और अन्य मैस्टिक; पेंटर भरक, भवन मुखों, भीतरी दिवारों, अंतस्छदों या वैसी ही वस्तुओं के लिए अन्य-उच्चताप सह पृष्टन निर्मितियां";

(iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में, शब्द, "या अंत में जुड़े" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द, "[बम्बू फ्लोरिंग से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;

(v) क्रम संख्या 177 ड. में, कॉलम (3) में, शब्द, "अनुसूची I में, क्रम संख्या 123 में आने वाले मदों को छोड़कर", को अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 253 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तांबे की बनी अन्य वस्तुएं [ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : -

"319क	8418	प्रशीतित, हिमित्र और प्रशीतन या हिमकरण उपस्क्र, बिजली से चलने वाले या अन्यम; ताप पंप, शीर्ष" 8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्नक";

(viii) क्रम संख्या 321 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीन, इनसे भिन्न जो धातु या कांच से बने हों, और उनके सिलेंडर [हस्तचालित रबर रोलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"341क	8450	घरेलू या लॉन्ड्री प्रकार की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत वे मशीनें भी हैं, जो धावन और शुष्कन दोनों कार्य करती हैं";

(x) क्रम संख्या 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"376कक	8507 60 00	लिथियम-ऑयन बैट्रीज
376कख	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
376कग	8509	विद्युत यांत्रिकी, घरेलू साधित्र, स्वत: पूर्ण विद्युत मोटर सहित, शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्रों से भिन्न, [वैट ग्राइंडर जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न]
376कघ	8510	शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतपूर्ण विद्युत मोटर सहित";

(xi) क्रम संख्या 378 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"378क	8516	विद्युत तात्क्षएणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जनन तापित्र विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण ; विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्किअत, केशवलयित्र,वलीयन टांग तापित्र) और हस्तं शुष्कित्र; विद्युत मंस्त्ररण इस्त्री ; इसी प्रकार के अन्य तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विद्युत तापमान प्रतिरोधित्र, उनसे भिन्नत, जो शीर्ष 8545 के अंतर्गत आते हैं ।";

(xii) क्रम संख्या 383ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“383ग	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन समेत) जिनकी स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो” ;

(xiii) क्रम संख्या 401 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“401क	8705	विशिष्ट प्रयोजन मोटरयान उनसे भिन्न जो प्रधानता व्यिक्तिंयों या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उदारहरणार्थ ब्रेकडाउन लारियों, क्रेन, लारियों, अग्नि संबंधी यान, कंक्रीट मिक्सुर लारियां, सड़क झाड़न लारियां, फुहारन लारियां, चल कर्मशालाएं, चल विकिरण यूनिटें)

(xiv) क्रम संख्या 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“402क	8709	इस प्रकार के स्वत: नोदित संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कलर्षण या हस्त न उपस्कयर फिट नहीं हैं, जिनका उपयोग कारखानों, भांडागारों, डाकक्षेत्रों या विमानपत्तनों में माल के कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के ट्रैक्टरों, जिनका उपयोग रेल स्टेशन प्लेकटफार्मों पर किया जाता है, पूर्वगामी यानों के पुर्जे

(xv) क्रम संख्या 403 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“403क	8716	अनुयान या सेमी अनुयान, अन्य यान जो यंत्र नोदित नहीं हैं; उनके पुर्जे (कृषि प्रयोजनों के लिए स्वत: लदाई या स्वत: उतराई अनुयान और हस्त नोदित यान से भिन्न) (अर्थात् हस्तयकाड्स और वैसे ही यान); पशु द्वारा खींचे जाने वाले यान

(xvi) क्रम संख्या 446 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(2)	(3)
“9607 20 00	स्लाइड फास्टनर्स के पार्ट्स”;

(xvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“449कक	9616	इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियों के उपयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड”;

(घ) अनुसूची -IV में-14%,

(i) क्रम संख्या 20, 21, 22 और 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 120 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "विद्युत संचायक, जिसके अंतर्गत उसके पृथकित्र भी हैं, चाहे वे आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) है या नहीं जो लिथियम आयन बैट्री से पृथक हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 140, 141, और 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 154 में, कोष्ठक, शब्द और अंक "[उन कम्प्यूटर मॉनीटर से भिन्न जो 20 इंच से अधिक न हों और टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स से भिन्न]", के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "[उन कम्प्यूटर मॉनीटर जो 20 इंच से अधिक न हों, टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन सेट्स (जिनमें एलसीडी और एलईडी टेलीविजन आते हैं) जिनके स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो से पृथक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 167 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 175 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(62). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(62), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 18/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(62). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 1/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (69), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, -

(A) in Schedule I-2.5%,

(i) after S. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:

"102 A.	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies for blending with motor spirit (petrol)";

(ii) in S. No. 123, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely :

(2)	(3)
"2515 (except 2515 1210, 2515 1220, 25151290) or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone alabaster [other than marble and travertine], other than polished stone which is ready to use";

(iii) after S. No. 170 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted

"170A	2809	Fertilizer grade phosphoric acid";

(iv) in S. No. 215, in the entry in column (3), the comma and words ", including coir pith compost put up in unit container and bearing a brand name" shall be inserted in the end;

(v) in S. No. 219, for the entry in column (3), the entry "Coir mats, matting, floor covering and handloom durries", shall be substituted;

(vi) in S. No. 219A, for the entry in column (3), the entry "all goods" shall be substituted;

(vii) in S. No. 222, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:

(2)	(3)
"61 or 6501 or 6505	Article of apparel and clothing accessories or cap/topi, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 1000 per piece";

(viii) in S. No. 225, in column (3), for the figure "500" the figure "1000" shall be substituted;

(ix) in S. No. 264, for the entry in column (3), the entry "Biomass briquettes or solid bio fuel pellets", shall be substituted;

(B) in Schedule II-6%, -

(i) S. No. 57B and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely :-

"96A	4409	Bamboo flooring";

(iii) in S. No. 146, in the entry in column (3), the words "except the items covered in 219 in Schedule I", shall be inserted in the end;

(iv) S. No. 147 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) after S. No. 185 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"185A	7419.99 30	Brass Kerosene Pressure Stove";

(v) after S. No. 195 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :-

"195A	8420	Hand operated rubber roller";
"195AA	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers";

(vii) after S. No. 206 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"206A	87	Fuel Cell Motor Vehicles " ;

(viii) after S. No. 231 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"231B	9607	Slide fasteners";

(ix) in S. No. 235, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:

(2)	(3)
"96190030, 96190040, or 96190090	All goods";

(C) in Schedule III-9%, -

(i) in S. No. 25, in column (3), after the words, "of any strength", the brackets and words "[other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies for blending with motor spirit (petrol)]" shall be inserted;

(ii) after S. No. 52 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

"52A	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
52B	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52C	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather";

(iii) after S. No. 54A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"54B	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non- refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like" ;

(iv) in S. No. 137, in column (3), after the words, "or end-jointed" the brackets and words, "[other than bamboo flooring]" shall be added;

(v) in S. No. 177E, in column (3), the words "except the items covered in Sl. No. 123 in Schedule I", shall be inserted in the end;

(vi) in S. No. 253, for the entry in column (3), the entry "Other articles of copper[other than Brass Kerosene Pressure Stove]" shall be substituted;

(vii) after S. No. 319 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"319A	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415";

(viii) in S. No. 321, for the entry in column (3), the entry "Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders there for [other than Hand operated rubber roller]" shall be substituted;

(ix) after S. No. 341 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"341A	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry" ;

(x) after S. No. 376A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely :-

"376AA	8507 60 00	Lithium-ion Batteries
376AB	8508	Vacuum cleaners
376AC	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508 [other than wet grinder consisting of stone as a grinder]
376AD	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor";

(xi) after S. No. 378 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"378A	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 8545" ;

(xii) after S. No. 383B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"383C	8528	Television set (including LCD or LED television) of screen size not exceeding 68 cm" ;

(xiii) after S. No. 401 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"401A	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)" ;

(xiv) after S. No. 402 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"402A	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles" ;

(xv) after S. No. 403 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"403A	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]" ;

(xvi) in S. No. 446, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely :

(2)	(3)
"9607 20 00	Parts of slide fasteners";

(xvii) after S. No. 449A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"449AA	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads there for; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations";

(D) in Schedule-IV-14%,

(i) S. Nos. 20, 21, 22, 24 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ii) S. No. 120, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iii) S. No. 130, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(iv) in S.No. 139, for the entry in column (3), the entry "Electric accumulators, including separators there for, whether or not rectangular (including square) other than Lithium-ion battery" shall be substituted;

(v) S. Nos. 140, 141, 142 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) S. No. 146 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vii) in S. No. 154, for the brackets, words figures and "[other than computer monitors not exceeding 20 inches and set top box for television]", the brackets words, figures and letters "[other than computer monitors not exceeding 20 inches, set top box for television and Television set (including LCD and LED television) of screen size not exceeding 68 cm]"shall be substituted;

(viii) S. No. 167 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(ix) S. No. 171 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(x) S. No. 175 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(xi) S. No. 224 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 19/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(63). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 2/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(70) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“92क	1401	साल की पत्तियां, सियाली की पत्तियां, सीसल की पत्तियां, सबाई घास”

(ii) क्रम संख्या 93क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

“93ख	1404 90 90	वनास्पतिक सामग्री, झाडू या ब्रूम स्टिक के विनिर्माण के लिए

(iii) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा-

“102क	2306	तेल निष्कर्षित चावल-भूसी स्पष्टीकरण: यह छूट 25 जनवरी, 2018 से तेल निष्कर्षित चावल-भूसी पर लागू होती है जो कि शीर्ष 2306 के अंतर्गत आती है”

(iv) क्रम संख्या 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा-

“114 क	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां”
“114ख	46	खाली दोना; साल की पत्तियों, सियाली की पत्तियों, सीसल की पत्तियों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिनमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है ”;

(v) क्रम संख्या 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा-

"117	48 या 4907 या 71	नोट रुपए या सिक्के जब इनको भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचा गया हो"

(vi) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा-

"132क	53	कोयर पिथ कम्पोस्ट, उनसे भिन्न जो यूनिट कनटेनर में बंद हों और- (क) जिनका पंजीकृत ब्रांड नेम हों; या (ख) जिनका ऐसा ब्रांड नेम हो जिसके नाम से किसी विधि न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती हो या किसी अधिकार को लागू किया जा सकता हो [उनसे भिन्न जहां कि अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे ब्रांड नेम के नाम से किसी कार्रवाई या लागू किए जाने वाले अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो ।"

(vii) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा-

"146क	9619 00 10 या 9619 00 20	सेनेटरी टावल्स (पैड्स) या सेनेटरी नेपकिन्स; टेम्पोन्स

(viii) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; यथा-

"152	अध्याय 71 को छोड़कर कोई भी अध्याय	राखी (उनसे भिन्न जो अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से बनाई गई हों)"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(63). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(63), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION

No. 19/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(63). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 2/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (70), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"92 A.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass";

(ii) after S. No. 93 A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"93 B.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks";

(iv) For S. No. 102 A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely;-

"102A.	2306	De-oiled rice bran Explanation: The exemption applies to de-oil rice bran falling under heading 2306 with effect from 25th January, 2018";

(v) after S. No. 114 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely-

"114A	44 or 68	Deities mde of stone, marble or wood
"114B	46	Khali Dona; goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope

(vi) for S. No. 117 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely-

"117	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India";

(vii) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"132A	53	Coir pith compost other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(viii) after S. No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"146A	96190010 or 96190020	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons";

(ix) after S. No. 151 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :-

"152	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)"

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 20/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(64). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 5/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(73) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा,

"बशर्ते कि,-

(i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किये जाने के पश्चात 31 जुलाई, 2018 तक अंत:वर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रेडिट, जो की बिना उपयोग किये गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(64). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(64), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 20/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39/2018/CT/V(64). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 5/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (73), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the opening paragraph the following proviso shall be inserted, namely,

"Provided that,-

(i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August, 2018, in respect of goods mentioned at serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C and 7 of the Table below; and

(ii) in respect of said goods, the accumulated input tax credit lying unutilised in balance, after payment of tax for and upto the month of July, 2018, on the inward supplies received up to the 31st day of July 2018, shall lapse.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

अधिसूचना

सं. 21/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(65). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हस्तशिल्प की वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती हैं, के अंत:राज्जीय आपूर्ति को उस हद तक छूट देती है जिस हद तक इस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाला राज्य कर उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक होता है ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "हस्तशिल्प की वस्तुएं" से अभिप्राय "ऐसी वस्तुओं से है जो कि मुख्य रूप से हाथ से बनाई गई हों चाहे इनके बनाए जाने की प्रक्रिया में इसमें कुछ औजार या मशीनों का उपयोग क्यों न करना पड़ा हो; ऐसी वस्तुएं देखने में आकर्षक होती हैं और इसमें इसी तरह के कुछ काम हुए रहते हैं; इनकी अपनी विशेषता होती है जो कि सौंदर्यपरक, कलात्मक, संजातीय या सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए होती है और यह इसी प्रकार के मशीनों से उत्पादित वस्तुओं से काफी भिन्न होती है ।"

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	6 %
2.	4202 22,4202 29,4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं, ज्वैलरी बाक्स	6 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशी युक्त उत्पाद, आर्ट वेयर/कलात्मक वस्तुएं, जो कि लकड़ी की हों (इनमें जड़ाऊ कार्य, कैस्क, बैरल, वेट्स भी आते हैं)	6 %
4.	4414 00 00	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लकड़ी के फ्रैम्स	6 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ीकारी, ज्वैलरी बाक्स, लकड़ी के खरादी और लॉक के कार्य (जिसमें मीनाकारी और जड़ीकारी, अंबादी सिसल शिल्प भी आते हैं)	6 %
6.	4503 90 90 4504 90	कार्क के कलात्मक कार्य [जिसमें सोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं]	6 %
7.	4601 और 4602	चटाईयां, वनास्पतिक पदार्थों की चटाईयां और पर्दें, टोकरी विकर वर्क और अन्य वस्तुएं या अन्य प्लैटिंग सामग्री, लूफा की वस्तुएं (जिसमें बांस, रटन, केन्स और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (जो कि प्राकृतिक रूप से सूखे हों), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगल, रम्बान की वस्तुएं, शोला आइटम्स, कोना/च्युथांग (सरकंडा) क्राफ्टस, जल कुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट्स भी शामिल हैं	2.5 %
8.	4823	कागज मेश की वस्तुएं	2.5 %
9.	5607, 5609	कोयर की वस्तुएं	2.5 %
10.	56090020, 56090090	तोरण, दरवाजे की सज्जा जो कि कॉटन यार्न या ऊन वाले यार्न और आभला (दर्पण) से बने हो, चाहे इनमें लटकन लगी हो या नहीं	2.5%
11.	57	हस्तनिर्मित कालीन और हस्तनिर्मित टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल है)	2.5 %
12.	5804 30 00	मानवनिर्मित लेस	2.5 %
13.	5805	हाथ से बुने कसीदे	2.5 %
14.	5808 10	हाथ से बने जूड़े और ऑरनामेंटल ट्रीमिंग, जो टुकड़ों में हों	2.5 %
15.	5810	हस्तनिर्मित जरीकारी की वस्तुएं	2.5 %
16.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से कम हो	2.5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से अधिक हो	6 %

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	6802	नग जड़े उत्पाद (जैसे की मूर्ति, मूर्तियां, जानवरी के आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	6 %
19.	6815 99 90	स्टोन आर्ट वेयर, स्टोन इनले वर्क	6 %
20.	6912 00 10 6912 00 20	चीनी मिट्टी और टैराकोटा और से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं	6%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं ब्लू पॉटरिज समेत	6 %
22.	7009 92 00	ऑरानामेंटल फ्रेम मिरर	6 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और अन्य छोटे-मोटे समान	2.5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों]	6 %
25.	7020 00 90	कांच की बनी कलात्मक वस्तुएं [जिनमें बर्तन, जार, वोटिव, कैस्क, केक कवर, ट्यूलिप बाटल, वेस भी आते हैं]	6 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन कार्य	1.5 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, कार्डम्म गारलेंड भी आते हैं)	1.5 %
28.	7326 90 99	लोहे की बनी कलात्मक वस्तुएं	6 %
29.	7419 99	कांसा, तांबा/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलात्मक वस्तुएं जो कि निकिल/सिल्वर से इलैक्ट्रोप्लेटिड हो	6 %
30.	7616 99 90	एल्यूमिनियम की बनी कलात्मक वस्तुएं	6 %
31.	8306	घंट्टियां, गोंग्स जो कि नॉन इलैक्ट्रिक हों और बेस मेटल से बनी हों और अन्य आभूषण जो कि बेस मेटल से बने हों; फोटोग्राफ, चित्र या इसी प्रकार के फ्रैम जो कि बेस मेटल से बने हों; बेस मेटल से बने दर्पण (जिनमें बिद्रीवेयर, पंचलोगा की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, स्वामी मलाई कांसे की मूर्तियां, ढोकराजाली भी आते हैं)	6 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंस (जिसमें पंचलोगा लैंस भी शामिल हैं)	6 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रट्टन और केन के फर्नीचर	6 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़े की सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने [जिनमें सांवतवादी लकड़ी के खिलौने चनापटना खिलौने, तंजावूर की गुड़िया भी आती हैं)	6 %
35.	9504	गंजीफा कार्ड	6 %
36.	9601	हाथीदांत, अस्थि, कच्छुए की खोपड़ी, सिंग, बारहसिंगा के सिंग, कोरल, मदर ऑफ पर्ल, सी शैल से बनी और अन्य जन्तु पदार्थ जड़ित वस्तुएं	6 %
37.	9602	लकड़ी या खनिज पदार्थ वाली नक्काशी युक्त वस्तुएं, मोम की वस्तुएं, स्टेयरिंन की वसतुएं, प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक रेशिन की वस्तुएं, मॉडलिंग पेस्ट की वस्तुएं आदि (इनमें लॉक और श्लॉक की वस्तुए भी आती हैं)	6 %
38.	9701	हैंड पैंटिंग, ड्राईंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पैंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजोर पैंटिंग, पामलिफ पैंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	6 %
39.	9703	मूल मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण कला, जो धातु, पत्थर और अन्य सामग्री से की जा रही हो	6 %

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(65). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-39/2018/वाक/पांच(65), दिनांक 26-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th July 2018

NOTIFICATION
No. 21/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-39 /2018/CT/V (65). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of handicraft goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2), from so much State tax leviable thereon under section 9 of the said Act as is in excess of the rate specified in column (4) of the said Table.

Explanation - For the purpose of this notification, the expression "handicraft goods" means "Goods predominantly made by hand even though some tools or machinery may also have been used in the process; such goods are graced with visual appeal in the nature of ornamentation or in-lay work or some similar work of a substantial nature; possess distinctive features, which can be aesthetic, artistic, ethnic or culturally attached and are amply different from mechanically produced goods of similar utility"

TABLE

S. No.	Chapter, Heading, Subheading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	Handcrafted candles	6%
2.	4202 22, 4202 29, 4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	Handbags including pouches and purses; jewellery box	6%
3.	4416, 4421 99 90	Carved wood products, art ware/decorative articles of wood (including inlay work, casks, barrel, vats)	6%

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	4414 00 00	Wooden frames for painting, photographs, mirrors etc	6%
5.	4420	Statuettes & other ornaments of wood, wood marquetry & inlaid, jewellery box, wood lathe and lacquer work [including lathe and lacquer work, ambadi sisal craft]	6%
6.	4503 90 90 4504 90	Art ware of cork [including articles of sholapith]	6%
7.	4601 and 4602	Mats, matting and screens of vegetable material, basketwork, wickerwork and other articles of vegetable materials or other plaiting material, articles of loofah (including of bamboo, rattan, canes and other natural fibres, dry flowers (naturally dried), articles thereof, ringal, raambaan article, shola items, Kouna/chumthang (water reeds) crafts, articles of Water hyacinth, korai mat]	2.5%
8.	4823	Articles made of paper mache	2.5%
9.	5607, 5609	Coir articles	2.5%
10.	5609 00 20, 5609 00 90	Toran, Doorway Decoration made from cotton yarn or woollen yarn and aabhala (mirror) with or without hanging flaps.	2.5%
11.	57	Handmade carpets and other handmade textile floor coverings (including namda/gabba)	2.5%
12.	5804 30 00	Handmade lace	2.5%
13.	5805	Hand-woven tapestries	2.5%
14.	5808 10	Hand-made braids and ornamental trimming in the piece	2.5%
15.	5810	Hand embroidered articles	2.5%
16.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece	2.5%
17.	6117, 6214	Handmade/hand embroidered shawls of sale value exceeding Rs. 1000 per piece	6%
18.	6802	Carved stone products (e.g., statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	6%
19.	6815 99 90	Stone art ware, stone inlay work	6%
20.	6912 00 10 6912 00 20	Tableware and kitchenware of clay and terracotta, other clay articles	6%
21.	6913 90 00	Statuettes & other ornamental ceramic articles (incl blue potteries)	6%
22.	7009 92 00	Ornamental framed mirrors	6%
23.	7018 10	Bangles, beads and small ware	2.5%
24.	7018 90 10	Glass statues [other than those of crystal]	6%
25.	7020 00 90	Glass art ware [incl. pots, jars, votive, cask, cake cover, tulip bottle, vase]	6%
26.	7113 11 10	Silver filigree work	1.5%
27.	7117	Handmade imitation jewellery (including natural seeds, beads jewelry, cardamom garland)	1.5%
28.	7326 90 99	Art ware of iron	6%
29.	7419 99	Art ware of brass, copper/ copper alloys, electro plated with nickel/silver	6%
30.	7616 99 90	Aluminium art ware	6%
31.	8306	Bells, gongs and like, non-electric, of base metal; statuettes, and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; (including Bidriware, Panchloga artware, idol, Swamimalai bronze icons, dhokra jaali)	6%
32.	9405 10	Handcrafted lamps (including panchloga lamp)	6%

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	9401 50, 9403 80	Furniture of bamboo, rattan and cane	6%
34.	9503	Dolls or other toys made of wood or metal or textile material [incl wooden toys of sawantwadi, Channapatna toys, Thanjavur doll)	6%
35.	9504	Ganjifa card	6%
36.	9601	Worked articles of ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother of pearl, seashell other animal carving material	6%
37.	9602	Worked vegetable or mineral carving, articles thereof, articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes etc, (including articles of lac, shellac)	6%
38.	9701	Hand paintings drawings and pastels (incl Mysore painting, Rajasthan painting, Tanjore painting, Palm leaf painting, basoli etc)	6%
39.	9703	Original sculptures and statuary, in metal, stone or any other material	6 %

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.